न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./637/2006/सवाईमाधोपुर

श्रीमती सुष्मा कॅवर धर्मपत्नि श्री रविन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम छाण, तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर

-- अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, राज0 उप अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 02-07-2018

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) एवं धारा 9, के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 88/2003 अनुवानी श्रीमती पुष्पा कॅवर बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22-12-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गण्डायता स्थित भूमि खसरा नम्बर 1/78, 1/85, 1/86 कुल रकबा 5 बीघा पर प्रार्थीया द्वारा वर्ष 1984 से अपना कब्जा काश्त होना बताते हुये एवं भूमिहीन होना बताते हुए नियमन हेतु आवेदन तहसीलदार, खण्डार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने दिनांक 27-11-2001 को पत्रावली पर आदेश दिया कि प्रार्थीया का पति राजकीय सेवा में है और प्रार्थी का पुराना कब्जा है, जिला कलक्टर से नौन गजटेड कर्मचारी स्वीकृति प्राप्त कर आवंटन-नियमन किया जा सकता है, प्रकरण नियमन योग्य बनता है। जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने आदेश दिनांक 14-2-2002 के द्वारा प्रार्थीया को नियमन का अधिकारी नहीं माना। प्रथम अपील इस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने निर्णय दिनांक 29-8-2002 से प्रकरण को रिमाण्ड किया और प्रार्थी द्वारा पुनः आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 6-6-2003 से तहसीलदार को प्रकरण आवंटन कमैटी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 88/2003 अनुवानी श्रीमती पुष्पा कॅवर बनाम सरकार में पारित

निर्णय दिनांक 22-12-2003 से अपील को अस्वीकार किया गया है। जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3 - अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4- अपीलार्थी के योग्य अभिभाषकगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्थिति सुस्पष्ट हो जाती है कि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1984 से निरंतर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है और राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के क्रम में प्रार्थीया का प्रकरण नियमन योग्य बनता है । योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को अंतरिम मानने में भूल की है, क्योंकि जिला कलक्टर के स्तर पर प्रकरण पैंडिंग नहीं है, अतः जिला कलक्टर का आदेश अंतरिम आदेश नहीं हो सकता है। प्रार्थी के प्रकरण को अनावश्यक रुप से देरीना किया जा रहा है, जब कि जिला कलक्टर को आक्षेपित आदेश दिनांक 6-6-2003 पारित करने के स्थान पर स्पष्ट रुप से नियमन के आदेश प्रदान करने चाहिए थे। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को विधि विरुद्ध व न्यायिक प्रकिया के विपरीत होना बताते हुये, अपील स्वीकार करने तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-12-2003 एवं जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 6-6-2003 को निरस्त करने तथा प्रार्थीया के पक्ष में नियमन किए जाने के आदेश प्रदान किये जाने व आवंटन कमैटी को निर्देशित किए जाने हेतु निवेदन किया।

5- रैस्पो0 के योग्य राजकीसय उप अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी द्वारा धारा 76 के तहत द्वितीय अपील एवं धारा 9 के तहत माननीय मण्डल की शक्तियों का प्रयोग किए जाने हेतु मण्डल के समक्ष यह एक ही आवेदन किया है, जब कि दोनों ही कार्यवाही पृथक पृथक हैं, अतः यह अपील चलने योग्य ही नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13-2-1997 के क्रम में निस्तारित करने हेतु आवंटन कमैटी को निर्देशित किया है। इसमें किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं रही है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6- अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदिका द्वारा खसरा नम्बर 1/78, 1/85, 1/86 कुल रकबा 5 बीघा पर प्रार्थीया द्वारा वर्ष 1984 से अपना कब्जा काश्त होना बताते हुये एवं भूमिहीन होना बताते हुए नियमन हेतु आवेदन तहसीलदार, खण्डार के समक्ष प्रस्तुत किया था और जिला कलक्टर द्वारा आवेदिका का पति राज्य सेवा में होने के कारण, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13-2-1997 के अनुसरण में यह माना कि राज्य कर्मचारी अथवा उसे पारिवारिक सदस्य

के नाम कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 1-4-1991 के क्रम में अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलाण्टा के पक्ष में नियमन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण को प्रति प्रेषित किया गया। जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार से इस बारे में मार्गदर्शन चाहने पर परिपत्र दिनांक 13-2-1997 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये और जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने आदेश दिनांक 6-6-2003 इसी क्रम में पारित किया है। स्पष्ट है कि जिला कलक्टर का आदेश नियमों, प्रावधानों व राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के क्रम में जारी किया है और इस आदेश में हमें किसी प्रकार की अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीया के प्रकरण में आवंटन कमैटी के स्तर पर विचार किया जाना है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करने का जो निर्णय पारित किया है वह तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ही है और इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। मण्डल के समक्ष यह अपील Appeal under section 76 read with section 9 Rajasthan Land Revenue Act, 1956 के अंकनों के साथ प्रस्तुत की गई और अनुतोष में "अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-12-2003 एवं दिनांक 6-6-2003 को निरस्त करने तथा प्रार्थीया के पक्ष में नियमन किए जाने के आदेश प्रदान किये जाने व आवंटन कमैटी को निर्देशित किए जाने" हेतु निवेदन किया गया है। स्पष्ट है कि धारा 76 के तहत द्वितीय अपील का प्रावधान है और धारा 9 के तहत मण्डल को अधीनस्थ समस्त न्यायालयों व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर प्रावधानों के विपरीत व अवैध कार्यवाही करने की स्थिति में मण्डल द्वारा अपनी इन शक्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से धारा 76 व धारा 9 दोनों का ही क्षेत्र पृथक पृथक है और धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई अपील में धारा 9 के तहत मण्डल की शक्यिों का प्रयोग करने हेतु आवेदन करना उचित प्रक्रिया नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। अपीलार्थी जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 6-6-2003 की अनुपालना में आवंटन/नियमन कमैटी के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य